

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 286

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 11/2020 – State Tax

- S. O. No. 34, Dated 25th June, 2020: In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons(hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.
- 2. **Registration.** The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursay, 25th June, 2020

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this

notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification,

with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. **Return.** - The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under

section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on

which registration has been granted.

4. **Input tax credit.-**(1)The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax

credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as

IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter

V of the said Act and the rules made there under, except the provisions of sub-section (4) of section 16

of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Jharkhand Goods and Service Tax Rules, 2017

(hereinafter referred to as the said rules).

(2)Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period

from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or

thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on

invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of

Chapter V of the said Act and the rules made there under, except the provisions of sub-rule (4) of rule

36 of the said rules.

(5) Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date

of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for

refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency

resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the

same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

[File No. VaKar / GST / 01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand

Vandana Dadel,

Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 11/2020-राज्यकर

एस. ओ. सं. 34, दिनांक- 25 जून, 2020 :— झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आई आर पी) या समाधान वृत्तिकों (आर पी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती है जो आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रिजस्ट्रीकरण.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रिजस्टर्ड थी, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रिजस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रिजस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आई आर पी/आर पी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/ आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा। जो आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

- 3. विवरणी.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।
- 4. **इनपुट का प्रत्यय**.- (1)आई आर पी/आर पी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि तत्कालीन जीएसटीआईएन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursay, 25th June, 2020

4

नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से उस अविध

के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की

तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जीएसटीआईएन

द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए

नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर

प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख

तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आई आर पी/आर पी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन

रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी","निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक"

"अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता

संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं।

[सं.सं.वा॰कर/जी॰एस॰टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग
